कार्यालय कलेक्टर
जिला उज्जैन (म.प्र.)
शाखा S.D.O.(R) Ujjain
14 OCT 2015
अधीक्षक कलेक्टर

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प उज्जैन

~~न्यायालय~~

प्रकरण क्रं० /२०१५ निगरानी निग/3536-III-15

:१: सुश्री नीरजा मौधे पिता दिगम्बरराव मौधे

:२: सुश्री उषा मौधे पिता दिगम्बर राव मौधे

:३: सुश्री प्रतिमा मौधे पिता दिगम्बर राव मौधे

समस्त निवासीगण ४३ पादनरीबा राजाभाउ महाकाल मार्ग उज्जैन -------- प्रार्थीगण

विरुद्ध

म०प्र० शासन ------- प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा ५०(1)म०प्र० भू० रा० सं० आदेश प्रदत्तकर्ता न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला उज्जैन के प्रकरण क्रं० ३२-ए-६/२०१४-१५ आदेश दिनांक १६-६-२०१५ से असंतुष्ट व दु:खी होकर

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण /आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है ::-

-:: प्रकरण के संक्षिप्त विवरण ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी क्रं० २ उषा मौधे एवं मृतक दिगम्बर मौधे पिता पुरूषोत्तम मौधे के नाम से ग्राम ढाबला रहवारी तहसील व जिला उज्जैन म०प्र० मे भूमि सर्वे नं० ४७ रकबा ०-६२० हे० एवं सर्वे नं० ४८ रकबा ०-६४० हे० कुल किता २ कुल रकबा १-५६० हे० स्थित है । उक्त भूमि को आवेदक क्रं० २ एवं दिगम्बरराव मौधे के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक २५-६-१९९० को विधिवत क्रय की है । उक्त भूमि जो कि दिगम्बरराव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3536–तीन/2015 जिला उज्जैन

सुश्री नीरजा मौघे आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–11–2015	आवेदकों द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार उज्जैन के प्रकरण कमांक 32/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 16–9–2015 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि विचाराधीन भूमि दिगम्बराव ने रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की थी। दिगम्बर राव का दिनांक 23–12–2003 को स्वर्गवास हो गया। दिगम्बर ने आवेदकगण के हित में दिनांक 9–4–1991 को वसीयत संपादित की थी। दिगम्बरराव की मृत्यु के पश्चात आवेदकगण ने वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 16–9–15 को दिगम्बराव की सात संतान होने और नामांतरण मात्र तीन संतानों की ओर से आवेदन पेश होने से जानकारी छिपाई जाना माना और प्रकरण आवेदकगण के आवेदन पर आदेशार्थ नियत किया। आवेदकगण के पक्ष में वसीयत संपादित की गई थी जिसके अनुकम में नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। दिगम्बर राव के सभी वारिसों को रिकार्ड पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी फिर पर तहसीलदार ने	

प्रकरण आवेदन पर आदेशार्थ नियत करने में त्रुटि की है। आगामी पेशी दिनांक 29–9–15 को आवेदक को सक्षम न्यायालय से प्रोबेट प्राप्त कर 01 माह में पेश कर तत्संबंध में कार्यवाही से अतगत कराने के निर्देश दिये हैं। आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि आवेदक द्वारा व्यवाहर न्यायालय में प्रोबेट हेतु वाद दायर कर दिया है जिसकी प्रति तहसील न्यायालय में भी प्रस्तुत की दी है। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 16–9–15 एवं 29–9–15 निरस्त किया जाये।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न तहसील न्यायालय की सत्यापित आदेश पत्रिकाओं का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगण ने फौती नामांतरण हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें तहसील न्यायायल ने मृतक दिगम्बर राव के विधिक वारिसानों की जानकारी आगामी पेशी तक दस्तोवज पेश करने हेतु समय दिया। आगामी पेशी 16–9–15 को आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र में मृतक दिगम्बर राव की सात पुत्रिया होना लेख किया। नायब तहसीलदार ने पटवारी से रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये जिसपर पटवारी द्वारा ग्राम में नहीं रहना होकर वारिसानों की जानकारी दी जाना संभव नहीं प्रतिवेदन किया। आगामी पेशी दिनांक 29–9–15 को नायब तहसीलदार ने आवेदकगण को वसीयतनामा को सक्षम न्यायालय से प्रोबेट प्राप्त कर एक माह में पेश करने अथवा तत्संबंध में कार्यवाही से अवगत कराने के

आदेश दिये है। आदेश का पालन नहीं करने की दशा में आवेदन पत्र खारिज करने का लेख किया है। आवेदक अभिभाषक ने इस न्यायालय में व्यवहर न्यायाधीश वर्ग–3 के यहां प्रोबेट की कार्यवाही प्रारंभ करने और अधीनस्थ न्यायालय में प्रोबेट की जानकारी देने का तर्क किया परन्तु किसी प्रकार के दस्तावेज इस संबंध में प्रस्तुत नहीं किये हैं। आवेदकगण द्वारा इस संभावना के आधार पर कि नायब तहसीलदार नामांतरण का आवेदन निरस्त कर देगें इसलिए यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। चूंकि तहसील न्यायालय के आदेश के कम में आवेदकगण को कार्यवाही कर तहसील न्यायालय में प्रोबेट के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना है एवं आवेदक द्वारा यह बताया गया कि उसने व्यवहार न्यायालय की प्रोबेट में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। ऐसी स्थिति में उसे इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कने के स्थान पर तहसील न्यायालय में तद्नुसार जानकारी प्रस्तुत करना चाहिए थी। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर